

सही शोको एकीकृत किया। बाद
 चाफेनाम) तस्वीर किया गया।
 तथा शाकल मिला किया गया।
 तथा खनिवाही लो 1, 3 ता B की
 आर से इकवाली 2915 डाडा
 शंकर लाल पेश हुआ जो 21/10/20
 गोपाल मिता जाता है वास्तु तमशी प्रतिकाही
 फातराम मिता जाता है वास्तु तमशी प्रतिकाही
 रत्न तार मिता जाता है वास्तु तमशी प्रतिकाही
 सं 299 हुक्म मिलान क्रमांक 182/20
 प्रकृति का पेश है

18/2/20

पत्रावली पेश हुई। कृपया प्रकृत
 उक्त/प्रतिकाही प्रतिकाही कोरे
 /किस कार्य में प्रकृत प्रतिकाही कोरे
 कार्यवाही सुनिश्चित 12/3/20
 को पेश हो।

07-09-2020

कोविड-19 संक्रमण के चलते
 पत्रावली निम्न इकजाही पेशी से आज पेश
 वकुलाय उभय पक्ष उपण प्रतिकाही सं 2 व 9
 की तामीले पूर्व में तम्पुड रूप से लेहर लौटी है।
 वास्तु तम्पुड तामीले उभय प्रतिकाही प्रकृत की कोरे
 से कोरे हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः
 प्रतिकाही सं 2 व 9 के विकृत्य एडप्टीय डार्प-
 वाही प्रकृत में लौके जाती है। वास्तु तमशी
 प्रकृत प्रतिकाही सं 14-09-2020 को पेश है।

14-09-2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय
 उभय पक्ष उपण प्रकृत में बहल
 वकुलाय उभय पक्ष सुनी गई। दोराने
 बहल वकुलाय उभय पक्ष ने सुताबिड

राजीनामा दावा डिस्मि फरमाया जाने का
निवेदन किया।

पत्रावली एवं पत्रावली पर
उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व पैसाशुदा राजी-
नामा का अवलोकन किया गया। मुंडि विवादित
पक्षकारान ने Mutual Consent से
राजीनामा पैसा कर न्यायालय हाजा
से तरुदीत करवा लिया है। ऐसी स्थिति
में विवादित पक्षकारान के मध्य कोई विवाद
विद्यमान नहीं होना पाया जाने पर
वाद, वादीगण मुताबिक राजीनामा डिस्मि
किया जाता है। राजीनामा डिस्मि का भाग
रहेगा। मुताबिक राजीनामा राजस्व
रेकार्ड में अमल दरामद ही। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम ही
तथा छद्म तफसील दाखिल दफतर ही। यह
निर्णय आज दिनांक 14-03-2020 को मेरे
द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा
सहित जारी किया जाकर वकुलाय उभय
पक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
RAS

उपर्युक्त अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

डिक्री मुकदमा इन्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम खण्डेला (सीकर)

श्री राकेश कुमार RAS

विरुद्ध श्री गोपाल पुत्रगण व नाम ① कजोडमल ② रामभजन व नाम
दावा बाबत घोषणा व रद्दाई निवेद्याना

मुकदमा नं. 212 सन् 2019

यह मुकदमा अजय वारत इनफिसाल कतई रूपरु श्री राकेश कुमार RAS

विरुद्ध श्री रामेश्वर लाल तैतरवाल निब मुद्दई रूपरु श्री बनवारी लाल जांगू एड
मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

राजिनामा मुताबिब राजीनामा डिक्री किया जाता
राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिब राजीनामा
जस्य रेकार्ड में अमल दरामद हो।

X मुबलिय

X

बाबत

इस मुकदमे के मध्य सूद बरारह

X

कीसदी काना अजय की तारीख से

ख अदायगी तक

X

का अदा करे।

14

09

2020

वसक मेरे दरताखत व मुहर अदालत के आज तारीख

माह

सन्

का

दी की गई।



Handwritten signature of the Sub-Divisional Officer, Khannu (Sikar).
दस्ताखत उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दयलह	रुपये	पैसे
राम्य अर्जी दावा			राम्य अर्जी दावा		
राम्य वकालत नामा			राम्य अर्जी		
राम्य वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा मवाहान		
खर्चा मवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

× हरदेव ③ दानाशम ④ रतनलाल

पुत्रगण बन्नी

जाति जाट निवासी तन ग्राम जानकीपुरा

तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

- (पादीगण)

बनाम

× पुत्रगण मंगला उर्फ मंगल्या

③ बसंती देवी ④ गौकुल देवी पुत्रियां मंगला उर्फ मंग

⑤ चावली देवी पुत्री हरदेव ⑥ विनोद देवी

⑦ संतोष देवी पुत्रियां बन्नी

⑧ मनोहरी देवी पत्नी बन्नी

समस्त जाति जाट निवासी तन ग्राम जानकीपुरा

तहसील खण्डेला सीकर (राज०)

- (प्रतिवादीगण)



14/9/2020
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)